



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102022-239652
CG-DL-E-14102022-239652

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4675]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 14, 2022/आश्विन 22, 1944

No. 4675]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 14, 2022/ASVINA 22, 1944

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2022

का.आ. 4885(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 3268 (अ) तारीख 18-07-2022 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 21-07-2022 में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा मेघालय राज्य में गुवाहाटी - शिलांग - सिलचर - पानीसागर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन के मध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्रित अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने जनता से प्राप्त आक्षेपों को परीक्षण के उपरांत निपटान कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम कि धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, यह निर्देश देती है कि पाइपलाइनें बिछाने के लिए भूमि में उपयोग के अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख को, भारत सरकार में निहित होने के बजाय, पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाली मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा और तदुपरि, भूमि में ऐसे उपयोग का अधिकार, इस प्रकार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुये, सभी विलंगमों से मुक्त, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची					
सी.डी. ब्लोक : मौर्यग कर्नेंग		जिला : इस्ट खासी हील्स	राज्य : मेघालय		
क्रम सं.	गांव का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	डीएंगपासोह जरोइत	अस1/001	00	01	14
		अस1/002	00	02	32
		अस1/003	00	41	94
		नाला	00	01	44
		अस1/004	00	35	11
		अस1/005	00	13	67
		अस1/006	00	15	98
		अस1/007	00	00	70
		अस1/008	00	24	53
		अस2/009अ	00	01	20
		अस2/009ब	00	02	24
		अस2/009क	00	01	64
		पक्का रास्ता	00	01	79
		अस2/0010अ	00	01	20
		अस2/0010ब	00	02	36
		अस2/0010क	00	01	57
		अस2/011	00	19	87
		अस2/012	00	16	66
		अस2/013	00	20	47
		अस2/014	00	16	65
		अस2/015	00	47	97
		अस2/016	00	38	68
		अस3/017	00	01	90
		अस3/018	00	20	65
		अस3/019	00	18	35
		अस3/020	00	14	86
		अस3/021	00	03	80
		अस3/022	00	31	82
		अस3/023	00	20	16
		अस3/024	00	11	60
		अस3/025	00	05	37
		कच्चा रास्ता	00	01	62
		टेस4/026	00	49	19
		कच्चा रास्ता	00	00	10
		अस4/027	00	01	13

कच्चा रास्ता	00	03	87
अस4 / 028	00	14	94
अस4 / 029	00	32	39
उम्मिर नदी	00	07	46
अस4 / 030	00	33	12
अस4 / 031	00	08	44
अस4 / 032	00	24	11
अस4 / 033	00	13	22
अस4 / 034	00	08	17
कच्चा रास्ता	00	04	70

[फा. सं. एल -14014/154/2022- जीपी-II (ई-43600)]

राकेश मिश्रा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th October, 2022

S.O. 4885(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No. 3268 (E) dated the 18-07-2022, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 21-07-2022, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of Natural Gas through Guwahati - Shillong - Silchar - Panisagar Section of North - East Natural Gas Pipeline in the state of Meghalaya by Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL).

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public.

And whereas the objections received from the public to the laying of the pipeline have been considered and disposed by the Competent Authority.

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted its report to the Government of India.

And whereas the Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the section 6 of the said Act, the Government of India hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the Indradhanush Gas Grid Limited (IGGL), free from all encumbrances.

SCHEDULE					
C.D. Block : Mawryng kneng		District:- East Khasi Hills	State :- Meghalaya		
Sl. No.	Name of the Village	Survey No.	Area		
			Hectare	Are	Sq.mtr.
1	2	3	4	5	6
1	Diengpasoh Jaroit	S1/001	00	01	14
		S1/002	00	02	32

S1/003	00	41	94
Nala	00	01	44
S1/004	00	35	11
S1/005	00	13	67
S1/006	00	15	98
S1/007	00	00	70
S1/008	00	24	53
S2/009A	00	01	20
S2/009B	00	02	24
S2/009C	00	01	64
Asp. Road	00	01	79
S2/0010A	00	01	20
S2/0010B	00	02	36
S2/0010C	00	01	57
S2/011	00	19	87
S2/012	00	16	66
S2/013	00	20	47
S2/014	00	16	65
S2/015	00	47	97
S2/016	00	38	68
S3/017	00	01	90
S3/018	00	20	65
S3/019	00	18	35
S3/020	00	14	86
S3/021	00	03	80
S3/022	00	31	82
S3/023	00	20	16
S3/024	00	11	60
S3/025	00	05	37
Cart Track	00	01	62
S4/026	00	49	19
Cart Track	00	00	10
S4/027	00	01	13
Cart Track	00	03	87
S4/028	00	14	94
S4/029	00	32	39
UMMIR RIVER	00	07	46
S4/030	00	33	12
S4/031	00	08	44
S4/032	00	24	11
S4/033	00	13	22
S4/034	00	08	17
Cart Track	00	04	70

[F. No. L-14014/154/2022-GP-II(E-43600)]

RAKESH MISHRA, Under Secy.